न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रा.पत्र संख्या 65 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
छगनलाल पुत्र कालुरामजी जाति मेघवाल आयु 47 वर्ष पेशा खेती निवासी दक्षिण मेघवालवास सिरोही तहसील व जिला सिरोही		1–सवाराम पुत्र समारामजी जाति मेघवाल आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी खाम्बल तहसील वं जिला सिरोही 2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ
2– अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री उमाराम देवासी

राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 25–11–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रा. पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तक का वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 9–9–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही मे प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की निम्नलिखित कृषि आराजी आई हुई है जिसके खाता संख्या 464 खसरा नंबर 111 कुल किता 1 रकबा 0.7400 हैक्टेयर है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की उक्त आराजी को पूर्व खातेदार श्री नैताराम वगैरहा से जरिये पंजिकृत विकय विलेख संख्या 943 / 201 दिनांक 28–4–2014 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी ने खरीदशुदा उक्त आराजी के 7 दिवस मे ही चारो तरफ बाड करवाई जो मौके पर मौजूद है। प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार कृषक होने से अपनी ईच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने का पुरा पुरा अधिकार है। अप्रार्थी संख्या एक तथा उसके परिवारजन गत करीब 15 दिवस से प्रार्थी की आराजी मे जबरन प्रवेश करने करने की धमकियॉ दे रहे है। प्रार्थी की बाड को तोडकर प्रार्थी की आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकियॉ दे रहे है। जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है। प्रार्थी का यह कृत्य गलत व विधि विरूद्व है। प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र इन कथनो पर आधारित है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है। तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे बिना किसी अधिकार के दखलंदाजी की जा रही है। सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थी संख्या एक को प्रार्थी की आराजी मे प्रवेश करने तथा कब्जा मे दखने या प्रार्थी को क्षति कारित करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मे दखल की की जाती है तो प्रार्थी खातेदार होते हुये भी काश्त नही कर सकेगा, प्रार्थी को अत्यअधिक असुविधा व क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो मे नही आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के हक मे तथा अप्रार्थी संख्या एक तथा उसके एजेन्ट, नौकर तथा परिवारजन वगैरहा के विरूद्व ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी करावे कि वे प्रार्थी की खातेदारी की खसरा नंबर 111 की आराजी की बाड को नही तोडे ,आराजी मे प्रवेश नही करें, प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नही करें काश्त मे रूकावट नही करें प्रार्थी के खातेदारी आराजी पर कब्जा नही करें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर 464 खसरा नंबर 111 रकबा 0.7400 हैक्टेयर की प्रतियो का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 9–9–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 1–10–2019 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये तथा वकील अप्रार्थी को जवाब पेश करने हतु अवसर प्रदान किये गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 3–11–2020 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 से 9 तक का कथन सरासर गलत मनगढन्त व आधाहीन होने से अस्वीकार करते हुये कथन किया कि खसरा नंबर 111 की सम्पूर्ण आराजी जरिये बेचान नामा दिनांक 6–8–1997 को मोल किमतन रूपये 20000 मे नैताराम वगैरहा के पिताजी हंसा पुत्र धनाजी से अप्राथी संख्या 1 ने प्राप्त कर उसी दिन कब्जा धारण किया, तब से लगातार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि पर आज दिन तक काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर न तो कभी कोई बाड करवाई है और न ही प्रार्थी को कभी भी उक्त आराजी का कब्जा ही प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि पर दिनांक 6–8–1997 से लगातार रूप से अप्रार्थी संख्या एक ही काबिज है। जब उक्त आराजी प्रार्थी को कभी भी मिली ही नही है तो उक्त भूमि के बारे मे गलत कथन किये है। तथा प्रार्थी कभी उक्त आराजी पर काबिज हुआ ही नही है तो उसे धमकियॉ देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी उक्त आराजी पर कभी भी निर्विवाद रूप से उक्त आराजी का खातेदार कृषक नही रहा है और न ही कभी भी उक्त आरांजी पर पर काबिज रहा है। जब उक्त भूमि पर कभी प्रार्थी का कब्जा ही नही है तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का एवं उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नही होने एवं कब्जा के अभाव मे प्रार्थना पत्र ही परिपोषणीय नही होने से काबिल खारीजगी है। प्रा.पत्र के पद [illegible] का कथन सरासर गलत होने से अस्वीकार कर जवाब है कि अ[illegible] [illegible] करारनामा नही बनाया है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत [illegible] उच्च न्यायाल[illegible] विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने उक्त जवाब के विशेष कथन के माध्यम से यह भी निवेदन किया प्रार्थी उक्त आराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है एवं बिना किसी कब्जे के प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार नही है इस कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नही होने से काबिल खारिज के है तथा अप्रार्थी संख्या एक वादग्रस्त आराजी पर पिछले करीब 23 वर्षो से काबिज काश्त है। इस प्रकार 12 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

कृषक बन चुका है जिससे प्रार्थी को कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नही होते है। अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष मे दिनांक 6–8–1997 को हंसाजी द्वारा लिखा गया बेचाननामा आज भी अस्तित्व मे है जिसे कभी भी खारिज नही करवाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक विगत 23 वर्षो से वादग्रस्त कृषि आराजी का हंसाजी के वारिसान की निजी जानकारी मे बिना किसी रोकटोक के अनवरत रूप से काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी हर्जे खर्चे से खारिज करना फरमावें।

इस न्यायालय मे विचारण प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 की अंतिम बहस दिनांक 9–11–2020 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट की मूल पत्रावली मय सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रतियों का गहनता पूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी सं.1 की अंतिम बहस पर भी गंभीरतापूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा खाम्बल पटवार हलका खाम्बल तहसील सिरोही के खाता संख्या 464 खसरा नंबर 111 रकबा 0.7400 हैक्टेयर का पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 464 के अनुसार खातेदार कृषक है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की उक्त आराजी को पूर्व खातेदार श्री नैताराम वगैरहा से जरिये पंजीकृत विकय विलेख संख्या 943/2014 दिनांक 28–4–2014 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिल होकर काश्त करना प्रार्थी ने बताया है। विचाराधीन प्रकरण मे इसी विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 111 रकबा 0.7400 हैक्टेयर के प्रकरण के संबंधित अन्य प्रकरण संख्या 36/2014 अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट सवाराम बनाम नेताराम वगैरहा मे इसी न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिनांक 25–5–2015 को निर्णय पारित किया गया उक्त निर्णय के मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थीसंख्या 1 से 4 तक को पाबंद किया गया है कि ताफैसला मूल वाद प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी नही करें व प्रार्थी की आराजी मे कब्जा नही करें न ही अन्य किसी को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें। उक्त फैसला दिनांक 25–5–2015 की पालना अप्रार्थी द्वारा नही करने से प्रार्थी सवाराम ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के विरूद्व माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश सिरोही के न्यायालय मे दीवानी विविध संख्या 10/2014 सवाराम बनाम नेताराम वगैरहा के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमे माननीय जिला न्यायाधीश सिरोही ने उक्त प्रकरण मे दिनाक 17–9–2016 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुताबिक उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त ... खसरा नंबर 111 जिसका उल्लेख प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे अंकित ... आराजी की जमीन पर यदि प्रार्थी उस पर काबिज है तो अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक उसको बेदखल नही करें तथा न ही इस आराजी को अप्रार्थीगण आगे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करेंगे या बेचान करेगे एवं मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त जमीन बाबत मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे। इस न्यायालय के उक्त निर्णित प्रकरण संख्या 36/2014 अ.धा. 212 आर.टी. एक्ट सवाराम बनाम नेताराम वगैरहा मे इसी न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25–5–2015 के विरूद्व नेताराम वगैरहा ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प सिरोही मे अपील संख्या 11/2015 शीर्षक नेताराम वगैरहा बनाम सवाराम वगैरहा दायर की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (राज०)

उक्त अपील मे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय पाली केम्प सिरोही ने दिनांक 5–4–2018 को निर्णय पारित निर्णय के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2014 अनवान सवाराम बनाम नेताराम वगैरहा मे पारित आदेश दिनांक 25–5–2015 को अपास्त किया गया है।

प्रकरण मे अंतिम बहस में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदी हुई है जिसमें अप्रार्थीगण अनावश्यक दखल कर रहे है। एग्रीमेंट के आधार पर टाईटल या हक उत्पन्न नहीं होता है न ही इस आधार पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाये कि प्रार्थीगण के कब्जे में दखल न करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस मे निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा दखलदांजी करने की कोई दिनांक प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी न्यायालय में धारा 88, 188 राकाअधिनियम के तहत दावा विचाराधीन है जिसमें पूर्व में इसी न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया गया था जिसे माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। इस बाबत उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। मौके पर कब्जा हमारा है एवं प्रार्थीगण ने यह अंकित नहीं किया कि कब हमें मौके से बेदखल किया है। इकरारनामा दिनांक 6.8.1997 के द्वारा अप्रार्थीगण उक्त भूमि पूर्व से खरीद चुका है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में संपूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षकारान की बहस उपरांत निम्नानुसार प्रार्थना पत्र का विवेचन किया जाता है।

1. बिन्दु संख्या 1: प्रथम दृष्टया मामलाः– विक्रय इकरार नामा दिनांक 6.8.1997 के निष्पादन के क्रम में माननीय जिला न्यायाधीश सिरोही के निर्णय दिनांक 17.9.2016 में वर्णित अनुसार **प्रार्थी सवाराम का हर प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला है, उसने प्रतिफल की पूरी राशि भी अदा कर दी एवं हंसाराम के पुत्रों कुईयाराम एवं नेताराम द्वारा अपने पिता की बात पर विश्वास कर विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करवाया तो भी उसके पक्ष में जो विक्रय विलेख निष्पादित हुआ वह अपनी प्रमाणिकता खो नही देता है।** प्रथम दृष्टया माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि **हस्तगत प्रकरण में जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलांट का हक हिस्सा निहित है अथवा नहीं तथा इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है अथवा नहीं? इन समस्त बिन्दुओं का निर्णय मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उनपर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही संभव होगा। किन्तु इस दरम्यान यदि रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चय ही अपूरणीय क्षति रेकर्डेड खातेदार को होगी तथा वो अपनी [illegible] होगा जो विधि अनुसार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वा[illegible] निर्णय कानूनन समर्थन योग्य नहीं है।** उपरोक्त दोनो निर्ण[illegible] हुये पुनः प्रकरण का विवेचन इस बिन्दु के क्रम में किया ज[illegible] अनुसार तहसील सिरोही के राजस्व ग्राम खांबल [illegible] संलग्न जमाबंदी अनुसार छगनलाल पुत्र कालूराम जाति मेघवाल सा. सिरोही खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा रिकार्डेड खातेदार होने से अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। जबकि अप्रार्थी अपना हक हिस्सा इस आधार पर जाहिर कर रहा है कि उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 6.8.1997 को इकरारनामा निष्पादित कर उक्त भूमि को हॅसाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(राज.)

पुत्र धनाजी मेघवाल निवासी खाम्बल से 20000/रूपयों में मय फसल खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तब से 23 वर्ष से लगातार कब्जा काश्त अप्रार्थी का ही है। उक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि दोनो पक्षकारान अपने अपने दलीलों के आधार पर कब्जे काश्त का दावा कर रहे है एवं इनमें से प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जबकि अप्रार्थी द्वारा गत 23 वर्ष से उक्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताया जा रहा है जिसका आधार विक्रय इकरारनामा दिनांक 6.8.1997 है। प्रकरण में माननीय जिला न्यायाधीश सिरोही द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.9.2016 के द्वारा अप्रार्थी श्री सवाराम के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना जाहिर है जिसके वर्तमान स्थिति न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है। प्रथम दृष्टया अस्थायी व्यादेश जारी करने का मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है चूँकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एवं ऐसे अप्रार्थी के विरूद्ध व्यादेश चाहा गया है जिसके द्वारा उक्तं भूमि जरिये इकरारनामा लगभग 23 वर्ष पूर्व खरीदा जाना जाहिर है एवं इसके उपरांत भी न तो बेचाननामा रजिस्टर्ड हुआ और न ही राजस्व रिकार्ड में नार्म दर्ज करवाने में अभी तक सफल हुआ है।

2. **सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः**– उभय पक्षकारान अपने तर्को के द्वारा सुविधा का संतुलन अपने अपने पक्ष में होना व्यक्त किया गया है। वास्तव में एक और वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है तो दूसरी और अप्रार्थी पक्ष जिसने उक्त भूमि लगभग 23 वर्ष पूर्व कीमतन खरीदे जाने क उपरांत भी विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नही करवाने के कारण अपूरणीय क्षति होना जाहिर कर रहे है। वर्तमान में यदि अप्रार्थी पक्ष को माननीय जिला न्यायाधीश सिरोही द्वारा अस्थायी व्यादेश दिया गया है तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी पक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होगी जो न्यायोचित नहीं होगा। चूकि ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारानों के मध्य विवाद बढने की संभावना होगी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में व्यादेश दिये जाने के सार बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निहित न होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25-11-20 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested